neutral citation
2022:CCHC:12038-DB

cr.Ref.no.1/2021&Cr.A.No. 1270/2021

AFR

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

आपराधिक संदर्भ संख्या 1/2021

फैसला सुरक्षित: 12–5–2022

फैसला सुनाया गया: 13–6–2022

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में, पुलिस चौकी चिखली, आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) ---------- आवेदक

**विरूद्ध**

शेखर कोर्राम, पिता श्री गेंद सिंह कोर्राम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम कांकेतरा, पुलिस चौकी चिखली, आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

----------अनावेदक

---

आवेदक/राज्य के लिए:–

सुश्री प्राची मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता और

श्री सुदीप वर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता।

अनावेदक के लिए–

श्री सौरभ डांगी और सुश्री अदिति सिंघवी, अधिवक्ता।

---

neutral citation
2022:CCHC:12038-DB



और

आपराधिक अपील संख्या 1270/2021

शेखर कोर्राम, पुत्र श्री गेंद सिंह कोर्राम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम कांकेतरा, पुलिस चौकी चिखली, पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

---------- अपीलकर्ता

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस चौकी चिखली, पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

----------उत्तरवादी

---

अपीलकर्ता के लिए:–

श्री सौरभ डांगी और सुश्री अदिति सिंघवी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी/राज्य के लिए: –

सुश्री प्राची मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता और

श्री सुदीप वर्मा, उप सरकारी अधिवक्ता ।

---

neutral citation
2022:CCHC:12038-DB



माननीय न्यायाधीश श्री संजय के अग्रवाल और

माननीय न्यायाधीश श्रीमति रजनी दुबे

सी.ए.वी. निर्णय

न्यायाधीश संजय के अग्रवाल –

1. अपीलकर्ता शेखर कोर्राम को राजनांदगांव के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय– पॉक्सो) ने विशेष आपराधिक (पॉक्सो) प्रकरण संख्या 50/2020 में दिनांक 13–9–2021 के निर्णय के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई है। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 302 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया है। उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 की उपधारा (5) के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है। अपीलकर्ता पर दोषसिद्धि और लगाई गई सजाएँ इस प्रकार हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| दोषसिद्ध | सजाऐं |
|---|---|
| धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत | 07 साल की कठोर कारावास की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना, चूक होने पर एक साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा |
| धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत | 10 साल की कठोर कारावास की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना, चूक होने पर एक साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा |
| धारा 302 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 06 पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत | मृत्यु दंड (फांसी पर लटकाकर मौत की सजा) |
| धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत | 07 साल की कठोर कारावास |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| | |
|---|---|
| | की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना, चूक होने पर एक साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत मौत की सजा पारित करने के बाद इसकी पुष्टि के लिए कार्यवाही इस अदालत को प्रस्तुत की और इस तरह यह मृत्यु संदर्भ हमारे समक्ष अभियुक्त / अपीलकर्ता द्वारा सीआरपीए के तहत पेश की गई अपील के साथ विचार के लिए है।

3. विचारण के दौरान अभियोजन का मामला निम्नानुसार सामने आया:–

**स्वीकृत तथ्य/अभियोजन का मामला, संक्षेप में:–**

3.1) अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि 22–8–2020 को ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव (पीडब्लू–1) ने पुलिस चौकी चिखली, पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली, राजनांदगांव में शिकायत

दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी उम्र लगभग 3 वर्ष 6 माह गुम हो गई है और उस आधार पर, पुलिस चौकी चिखली, जिला राजनांदगांव द्वारा धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध क्रमांक 0/2020 प्र.पी–38 दर्ज किया गया और उसी दिन यानी 22–8–2020 को पुलिस चौकी चिखली ने ओमप्रकाश द्वारा प्र.पी–2 के माध्यम से की गई शिकायत के आधार पर निर्धारित प्रारूप के तहत गुमशुदगी का पंचनामा प्रश्नावली तैयार की है। पुलिस चौकी चिखली में अपराध क्रमांक 0/2020 (प्रत्यक्ष पी–38) के रूप में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट को बाद में पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली, राजनांदगांव में स्थानांतरित कर दिया गया और अपराध क्रमांक 382/2020 प्रत्यक्ष पी–10 के रूप में पंजीकृत किया गया। उसी दिन यानी 22–8–2020 को लगभग 23:25 बजे, गुमशुदा नाबालिग लड़की की हत्या के बारे में पुलिस को सूचना मिली और पुलिस अपराध स्थल पर पहुंची और प्रत्यक्ष पी–11 के तहत देहाती मुर्दाघर सूचना तैयार की। पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या के संबंध में प्रत्यक्ष पी–39 के तहत मुर्दाघर सूचना भी तैयार की और उसके बाद मामले को जांच के लिए ले लिया और प्रत्यक्ष पी–4 के तहत अपराध स्थल का नक्शा पंचनामा तैयार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.2) जांच के दौरान, अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने मृतक नाबालिग पीड़िता का अपहरण करने और उसके बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न करने और फिर उसका गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने संदेह के आधार पर और नारद सिन्हा (पीडब्लू–2) और भुनेश्वरी (पीडब्लू–10) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, अपीलकर्ता/आरोपी को गिरफ्तार किया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्र.पी–14 के रूप में उसका ज्ञापन बयान दर्ज किया। अपीलकर्ता/आरोपी के ज्ञापन प्रकटीकरण बयान के अनुसार, मृतक पीड़िता का शव और अपराध में इस्तेमाल तकिया कवर प्र.पी–15 और पी–16 के अनुसार बरामद किया गया। इसके अलावा, आरोपी के अंडरवियर को भी उसकी निशानदेही पर प्र.पी–17 के अनुसार जब्त किया गया। अपीलार्थी/आरोपी के ज्ञापन कथन के अनुसरण में, मृतक नाबालिग लड़की का शव आरोपी/अपीलार्थी द्वारा बताए जाने पर अपीलार्थी/आरोपी के घर से बरामद किया गया और शव की पहचान उसके पिता ओमप्रकाश (पीडब्लू–1) द्वारा शव पहचान पंचनामा प्र.पी–5 के अनुसार की गई। तत्पश्चात, मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी–34 तैयार की गई और मृत्यु का कारण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गला घोंटना पाया गया। तत्पश्चात, जांच के दौरान, ज्ञापन और जब्ती की कार्यवाही के दौरान दो गवाहों सुग्रीव साहू (पीडब्लू–5) और देवेंद्र कुमार (पीडब्लू–6) द्वारा स्वीकार किया गया, जबकि अंतिम बार देखे गए गवाहों नारद सिन्हा (पीडब्लू–2) और भुनेश्वरी (पीडब्लू–10) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत प्र.पी–45 के अनुसार अपने बयान दर्ज कराए। आरोपी/अपीलकर्ता को दिनांक 23–8–2020 को Ex.P–46 के तहत गिरफ्तार किया गया। योनि स्वैब और स्लाइड तैयार कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.3) जघन्य अपराध के अभियोजन मामले को पुष्ट करने के लिए क्षेत्राधिकारी पुलिस ने मृत नाबालिग लड़की के साथ–साथ आरोपी के रक्त के नमूने को रासायनिक परीक्षण के उद्देश्य से राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को प्र.पी–28 के तहत भेजा था, जहां से एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी–31 के तहत प्राप्त हुई है। मृतिका के कपड़ों और पोस्टमार्टम के दौरान तैयार किए गए योनि के स्वाब और स्लाइड पर एफएसएल जांच प्र.पी–31 और डीएनए जांच प्र.पी–32 की गई। मृतिका के योनि के स्वाब का डीएनए प्र.पी–32 के तहत अपीलकर्ता/आरोपी के रक्त से निकाले गए

डीएनए नमूने से मेल खाता पाया गया। डीएनए किया गया और डीएनए रिपोर्ट एफएसएल, रायपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रीमती अपोलिना एक्का द्वारा तैयार की गई, जिनकी जांच पीडब्लू 17 के रूप में की गई है।

3.4) जांच के दौरान, गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए और जांच पूरी होने के बाद, आरोपी/अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 366, 376 एबी, 302, 201 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया और क्षेत्राधिकार वाली पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, अपीलकर्ता ने दोष से इनकार कर दिया और बचाव में प्रवेश किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**4.** अभियोजन पक्ष ने अपराध को साबित करने के लिए 17 गवाहों से पूछताछ की और 47 दस्तावेज एक्स.पी.1 से पी–47 तक पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने किसी गवाह से पूछताछ नहीं की और केवल एक दस्तावेज एक्स.डी–1 पेश किया। आरोपी से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई,

जिसमें उसने खुद को निर्दोष और झूठे आरोप में फंसाने की दलील दी।

**आरोपी का बचाव:–**

**5.** अपीलकर्ता/आरोपी ने बचाव में आकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और खुद को निर्दोष और झूठे आरोप में फंसाए जाने की दलील दी। उसका मामला यह था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने किसी भी अपराध की जांच भी नहीं की है और अपने बचाव के समर्थन में केवल एक दस्तावेज (एक्स.डी–1) प्रदर्शित किया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**विचारण न्यायालय का निर्णय/निष्कर्ष:–**

**6.** विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने के बाद, अपने विवादित फैसले में, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 302, 201 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया और इस फैसले के शुरुआती पैराग्राफ में उल्लिखित मृत्युदंड की सजा सुनाई और आगे, अपीलकर्ता / अभियुक्त को दी गई मृत्युदंड की पुष्टि के लिए इस न्यायालय को संदर्भित किया।

**7.** विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को प्रमाणित पाया है:–

➢ अपीलकर्ता ने लगभग साढ़े तीन साल की नाबालिग पीड़िता को उसके पिता ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव (पीडब्लू–1) के वैध संरक्षण से 22–8–2020 को यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से अपहरण किया था, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत दंडनीय है, जैसा कि नारद सिन्हा (पीडब्लू–2) और भुनेश्वरी (पीडब्लू–10) के बयानों से साबित होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

➢ पीड़िता की उम्र 3 साल 6 महीने थी, जैसा कि पीड़िता के एक्स.पी–7 जन्म प्रमाण पत्र से साबित होता है, क्योंकि उसकी जन्म तिथि 13–12–2016 थी और अपराध की तारीख 22–8–2020 है।

➢ पीड़ित/मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की है, क्योंकि डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13) के चिकित्सा साक्ष्य के मद्देनजर मृत्यु का कारण दम घुटना है, जिन्होंने दस्तावेज़ एक्स.पी–34 पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया है।

➢ नारद सिन्हा (पीडब्लू–2) और भुनेश्वरी (पीडब्लू–10) की गवाही से अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत विधिवत स्थापित होता है।

➢ साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता के प्रकटीकरण कथन के अनुसार, नाबालिग पीड़ित का शव एक्स.पी–15 के अनुसार बरामद किया गया, जिसके बाद एक्स.पी–16 के अनुसार तकिया कवर बरामद किया गया, जिससे गला घोंटा गया था और एक्स.पी–17 आरोपी का अंडरगारमेंट है। तकिया कवर पर लार मौजूद पाई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

➢ मृतका और अपीलकर्ता/आरोपी के शरीर से रासायनिक परीक्षण के लिए रक्त के नमूने और द्रव के नमूने लिए गए और प्र.पी.28 के तहत एफएसएल को भेजे गए और बदले में, एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी.–31 के तहत प्राप्त हुई है, जिसमें नाबालिग पीड़िता/मृतका द्वारा पहने गए फ्रॉक (आर्ट. एच 2) पर वीर्य के साथ–साथ मानव शुक्राणु भी पाए गए हैं।

➢ मृतका के कपड़ों और पोस्टमॉर्टम के दौरान तैयार किए गए योनि स्वाब और स्लाइड पर डीएनए परीक्षण किया गया। मृतका के योनि स्वाब पर डीएनए अपीलकर्ता के रक्त से निकाले गए डीएनए नमूने से मेल खाता पाया गया, जिसे राज्य एफएसएल, रायपुर की

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रीमती अपोलिना एक्का (पीडब्लू–17) द्वारा विधिवत साबित किया गया है।

➢ वर्तमान मामला दुर्लभतम का है, जिसमें मृत्युदंड उचित सजा है।

➢ जिस तरह से अपराध क्रूरतापूर्वक किया गया है और पीड़ित नाबालिग है, उसे देखते हुए उचित सजा मृत्युदंड है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दर्ज की गई सजा और सुनाई गई सजा के फैसले से असंतुष्ट और व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत सीआर.ए.सं.1270/2021 पेश किया है, जिसमें उपरोक्त अपराधों के लिए उसकी सजा को चुनौती दी गई है, खासकर उसे दी गई मौत की सजा के खिलाफ। हालांकि, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, मौत की सजा की पुष्टि के लिए इस न्यायालय को प्रस्तुत किया और इस तरह दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया है, एक साथ सुना गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

**पक्षकारो की तर्क:–**

**9.** अभियुक्त/अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ डांगी और सुश्री अदिति सिंघवी ने निम्नवत दलीलें प्रस्तुत की है–

1. अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए और उचित संदेह से परे सिद्ध पाए गए अपराधों को साबित करने में विफल रहा है और उसे दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत दंडनीय अपराध साबित नहीं होते हैं क्योंकि उपर्युक्त अपराधों के तत्व गायब हैं। एक बार जब विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है जिसमें अपहरण भी शामिल है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने और सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे में अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध किया गया है अपने तर्क के समर्थन में **मोहम्मद यूसुफ इलियास मौला एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य**[1] के मामले का हवाला दिया गया है।

3. अपने तर्क को और स्पष्ट करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ डांगी ने आगे कहा कि नारद सिन्हा (पीडब्लू–2) और भुनेश्वरी (पीडब्लू–10) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत भी निराधार है। यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया है कि आरोपी को अंतिम बार पीड़ित/मृतक के साथ देखा गया था और इस तरह, अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत स्थापित नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रकटीकरण कथन और अनुवर्ती बरामदगी कानून के अनुसार साबित नहीं हुई है, इसलिए, ज्ञापन और जब्ती के आधार पर साबित परिस्थितियों को खारिज किया जाना चाहिए।

5. इसी तरह, विचारण न्यायालय ने तकिए के कवर पर लार पाई है, लेकिन यह भी साबित नहीं हुआ है कि लार मृतक नाबालिग पीड़िता की थी, ऐसे में उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि एफएसएल रिपोर्ट प्रमाणित और सकारात्मक पाई गई है, लेकिन इसे रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजा गया था और रक्त समूह के मिलान के अभाव में, इसे अपीलकर्ता के खिलाफ साबित नहीं कहा जा सकता है।

6. वीर्य का स्रोत भी साबित नहीं पाया गया है और यह भी साबित नहीं हुआ है कि यह आरोपी का है या नहीं।

7. वैकल्पिक रूप से, विद्वान अधिवक्ता श्री डांगी यह भी प्रस्तुत करेंगे कि यदि न्यायालय ने साबित पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध स्थापित है, तो अपराध, यदि कोई हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तहत कवर किया जाएगा और इसलिए **शत्रुघ्न बबन मेश्राम बनाम महाराष्ट्र राज्य** [2] के मामले में सुप्रीम न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता डांगी ने अपने तर्क के समर्थन में **पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[3], **भगवानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[4], **मोफिल खान एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य**[5], **लोचन श्रीवास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[6] **और मोहम्मद फिरोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[7] के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी हवाला दिया और कहा कि वर्तमान मामले में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सजा के प्रश्न पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रभावी अवसर नहीं दिया है, विशेष रूप से अभियुक्त के पुनर्वास और सुधार के संबंध में और राज्य ने भी अभियुक्त की इस अक्षमता को साबित

नहीं किया है कि उसका पुनर्वास और सुधार नहीं किया जा सकता है और बिना किसी जांच के उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, जिसे आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है और निष्कर्ष दर्ज करता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे स्थापित किया गया है। इस प्रकार, संदर्भ को अस्वीकार किया जाए और अपील को स्वीकार किया जाए, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसे ऊपर बताए अनुसार मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलकर्ता पेशे से प्लंबर है, वह 28 वर्ष का युवा है और तहसील राजनांदगांव के दूरस्थ क्षेत्र यानी ग्राम कांकेतरा का निवासी है, उसके सुधार और पुनर्वास की पूरी संभावना है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए उसकी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जाए।

10. अपीलकर्ता का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत आता है और मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाए।

**10.** विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री प्राची मिश्रा ने राज्य की ओर से बहस शुरू करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत अपराध के तत्व, साथ ही अपीलकर्ता के खिलाफ उन अपराधों को स्थापित करने के लिए साक्ष्य वर्तमान मामले में उपलब्ध थे और नारद सिन्हा (पीडब्लू–2) और भुनेश्वरी (पीडब्लू–10) के बयानों से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत यौन उत्पीड़न करने के इरादे से लगभग 3 वर्ष 6 महीने की नाबालिग पीड़िता/लड़की का अपहरण किया था और इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत अपराध के लिए भी सही रूप से दोषी ठहराया गया है। अपने तर्क को विस्तृत करते हुए, उन्होंने आगे कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत, भेद नाबालिग की उम्र पर आधारित है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत, यह उद्देश्य विशिष्ट और लिंग विशिष्ट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 अपहरण का अपराध है क्योंकि धारा 363 के तहत अपहरण के अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है और जुर्माना भी है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत निर्धारित अधिकतम सजा दस साल है और जुर्माना भी है। वह यह भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रस्तुत करेंगी कि वैध संरक्षकता से अपहरण का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के तहत दंडनीय है, क्योंकि एक नाबालिग माता–पिता की सुरक्षित देखभाल और हिरासत का आनंद लेने का हकदार है और माता–पिता भी अपने नाबालिग वार्ड की देखभाल और हिरासत प्रदान करने के हकदार हैं। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के बीच अपराध के अंतर पर विचार करते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा वह अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए **मोहम्मद यूसुफ इलियास मौला(सुप्रा), कविता चंद्रकांत लखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[8] **तथा सन्निया सुब्बा राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[9] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करेंगी। वह अंत में यह दलील देंगी कि जिस तरह से अपराध किया गया है, उससे न्यायालय और समाज की अंतरात्मा को झटका लगा है, इसलिए, विचारण न्यायालय ने सही ढंग से माना है कि यह दुर्लभतम मामला है और अभियुक्त/अपीलकर्ता को मृत्युदंड देने के लिए सही ढंग से आगे[1] बढ़ा है, जो उसे दी गई मृत्युदंड की पुष्टि करके बरकरार रखा जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 08. (2018) 6 SCC 664 09. (2018) 17 SCC 225

**11.** श्री सुदीप वर्मा, विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता, प्रस्तुत करेंगे कि नारद सिन्हा (पीडब्लू–2) और भुनेश्वरी (पीडब्लू–10) की गवाही से अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत विधिवत रूप से स्थापित हो गया है और इसी तरह प्रकटीकरण कथन Ex.P–14 के आधार पर, नाबालिग पीड़िता/मृतक का शव Ex.P–15 के अनुसार बरामद किया गया है, और Ex.P–16 के अनुसार, तकिए का कवर और Ex.P–17 के अनुसार, आरोपी के अंडरगारमेंट बरामद किए गए और एफएसएल, रायपुर को भेजे गए, जहां से रिपोर्ट Ex.P–31 प्राप्त हुई है, जिसमें कहा गया है कि पीड़िता/मृतक द्वारा पहने गए कपड़ों पर वीर्य के साथ–साथ मानव शुक्राणु भी पाए गए हैं और इस प्रकार, अपराध सिद्ध करने वाली परिस्थितियाँ विधिवत रूप से स्थापित हो गई हैं। इसी तरह, डीएनए रिपोर्ट Ex.P–32 स्पष्ट रूप से आरोपी के अपराध को स्थापित करती है और अपने प्रस्तुतीकरण को पुष्ट करने के लिए, श्री वर्मा, विद्वान उपसरकारी अधिवक्ता अधिवक्ता **मुकेश और अन्य बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य और अन्य**[10] (पैराग्राफ 221) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करेंगे। वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि अपराध के बाद अभियुक्त के आचरण का महत्व हमेशा ही अपराध करने वाली परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कारक होता है । अंत में, वह प्रस्तुत करेंगे कि यह दुर्लभतम अपराधों में से एक है, जिसके तहत अपीलकर्ता ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण करके उसके साथ यौन संबंध बनाए और उसके बाद, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद, उसके शव को छिपा दिया, जिसे प्रकटीकरण कथन एक्स.पी–14 के अनुसार रिकवरी पंचनामा एक्स.पी–15 द्वारा बरामद किया गया, इस प्रकार, एफएसएल रिपोर्ट और डीएनए प्रोफाइलिंग से, अभियुक्त का अपराध पूरी तरह से स्थापित होता है और इसलिए यह ऐसा मामला है, जहां यह दुर्लभतम मामलों की सीमा में आता है, जो अपराध परीक्षण और आपराधिक परीक्षण को पूरा करता है, जैसा कि **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य**[11] **और मुकेश** (सुप्रा) (पैराग्राफ 351) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह एक ऐसा मामला है, जिसमें किए गए अपराध के कारण समाज की सामूहिक चेतना स्तब्ध है। [2]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**12.** हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार किया है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का भी गहनता से अध्ययन किया है। हमने जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रायपुर से दिनांक 9–5–2022 को

2 10. AIR 2017 SC 2161 11. AIR 1980 SC 898

प्राप्त आचरण रिपोर्ट का भी अवलोकन किया है, जिसे विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलकर्ता का आचरण जेल में वर्तमान कारावास के दौरान सामान्य पाया गया है।

**<u>भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को चुनौती।</u>**

**13.** अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोरदार ढंग से तर्क दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, इसलिए, उपरोक्त अपराधों के लिए दोषसिद्धि को रद्द किया जाना चाहिए और वैकल्पिक रूप से, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध के अवयवों में अपहरण का अपराध भी शामिल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**14.** भारतीय दंड संहिता की धारा 359 और 361 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"359. **अपहरण–** अपहरण दो प्रकार का होता है: भारत से अपहरण, और वैध संरक्षकता से अपहरण।

361. **वैध संरक्षकता से अपहरण–** जो कोई किसी नाबालिग को, यदि वह पुरुष है तो सोलह वर्ष से कम आयु का, या यदि वह महिला है तो अठारह वर्ष से कम आयु का, या किसी भी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे नाबालिग या विकृतचित्त व्यक्ति के वैध संरक्षक की देखरेख से, ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना, ले जाता है या बहलाता है, तो उसे ऐसे नाबालिग या विकृतचित्त व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण करना कहा जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अपीलकर्ता की ओर से की गई उक्त दलील को संबोधित करने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 359 में परिभाषित अपहरण की परिभाषा पर ध्यान देना उचित होगा, साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 361 जो वैध संरक्षकता से अपहरण का प्रावधान करती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 366 जो अपहरण के लिए दंड निर्धारित करती है। अपहरण दो प्रकार का होता है: भारत से अपहरण, और वैध संरक्षकता से अपहरण। वैध संरक्षकता से अपहरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में परिभाषित किया गया है। इस धारा के तहत अपराध 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिग के संबंध में किया जा सकता है, यदि वह

पुरुष है, या 18 वर्ष से कम आयु का, यदि वह महिला है, या अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति। इस धारा का उद्देश्य कम से कम उतना ही है जितना कि नाबालिग या पागल व्यक्तियों की वैध देखभाल या हिरासत रखने वाले माता–पिता और अभिभावकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोमल आयु के बच्चों को अनुचित उद्देश्यों के लिए अपहरण या बहकाए जाने से बचाना। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में चार आवश्यक तत्व हैं–

(1) किसी नाबालिग या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति को ले जाना या फुसलाना।

(2) यदि वह लड़का है तो ऐसे नाबालिग की उम्र सोलह वर्ष से कम होनी चाहिए, या यदि वह लड़की है तो अठारह वर्ष से कम होनी चाहिए।

(3) ले जाना या फुसलाना ऐसे नाबालिग या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के वैध अभिभावक की देखरेख में नहीं होना चाहिए।

(4) ऐसा ले जाना या फुसलाना ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**16.** **<u>प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य</u>** [12] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए 12 (2004) 1 एससीसी 339 में माना है कि जिस नाबालिग को ले जाया या बहलाया जाता है, उसकी सहमति पूरी तरह से अप्रासंगिक है; केवल अभिभावक की सहमति ही मामले को इसके दायरे से बाहर ले जाती है और आगे कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि ले जाना या बहलाना बल या धोखाधड़ी के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए। यह भी माना गया है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा अनुनय जो नाबालिग की ओर से वैध अभिभावक की देखभाल से बाहर ले जाने की इच्छा पैदा करता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में निहित प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत दंडनीय है।[3]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**17.** वर्तमान मामले में मृतक पीड़िता की आयु ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव (पीडब्लू–1) द्वारा साबित की गई है तथा उसने जन्म प्रमाण पत्र एक्स.पी–7 को साबित किया है जिसमें मृतक की जन्म तिथि 13–12–2016 दर्ज है तथा अपराध की तिथि 22–8–2020 है। इस प्रकार, मृतक अपराध की तिथि पर केवल 3 वर्ष

3. 12 (2004) 1 SCC 339

6 महीने की आयु का था तथा इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के प्रयोजन के लिए, वह (पीड़िता/लड़की) अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग थी।

**18.** मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को नाबालिग मृतक लड़की को ले जाते हुए नारद सिन्हा (पीडब्लू 2) ने देखा था, जिसने अदालत के समक्ष अपने बयान के पैराग्राफ 2 में स्पष्ट रूप से कहा है कि 22–8–2020 को उसने आरोपी को एक नाबालिग लड़की के साथ देखा और पूछने पर आरोपी ने बताया कि वह ओमप्रकाश यादव की बेटी है और उसके बाद आरोपी नाबालिग लड़की के साथ वापस आ गया। इसी तरह, ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव (पीडब्लू–1), जो मृतक का पिता है, ने भी कहा है कि 22–8–2020 को उसकी बेटी उसके घर से लापता हो गई थी जब वह घटना की तारीख को लगभग 4 बजे अपने घर वापस आया और उसके द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट एक्स.पी–1 और पी–2 दर्ज कराई गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि अपीलकर्ता ने मृतक नाबालिग लड़की को उसके पिता ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव (पीडब्लू–1) की वैध हिरासत से उसकी अनुमति के बिना या परिवार के किसी भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सदस्य की अनुमति के बिना ले लिया था, जिससे भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के तत्व स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। रिकॉर्ड पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना के आधार पर, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही रूप से पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। हम विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**19.** अब अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:–

**"366. किसी महिला को उसके विवाह के लिए मजबूर करने के लिए उसका अपहरण, भगा ले जाना या उसे प्रेरित करना, आदि–** जो कोई किसी महिला का इस इरादे से अपहरण या अपहरण करता है कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए, या उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए

कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा; और जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी या अधिकार के दुरुपयोग या किसी अन्य तरीके से मजबूरी में किसी महिला को किसी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है, इस आशय से कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकावे में आ सकती है या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, वह पूर्वोक्त रूप से दंडनीय होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध गठित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता महिला को किसी स्थान से जाने के लिए मजबूर किया या बलपूर्वक जाने के लिए मजबूर किया, कि ऐसा प्रलोभन धोखे से दिया गया था, कि ऐसा अपहरण इस आशय से हुआ था कि शिकायतकर्ता को अवैध संभोग के लिए बहकाया जा सकता है और / या कि अभियुक्त को यह पता था कि शिकायतकर्ता को उसके अपहरण के परिणामस्वरूप अवैध संभोग के लिए बहकाया जा सकता है। केवल अपहरण से कोई अभियुक्त इस दंडात्मक प्रावधान के दायरे में नहीं आता है। जहां तक

भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत आरोप का संबंध है, केवल यह निष्कर्ष निकालना कि महिला का अपहरण किया गया था, पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी साबित किया जाना चाहिए कि आरोपी ने महिला का अपहरण इस इरादे से किया था कि उसे मजबूर किया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर किया जाएगा या उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है या यह जानते हुए कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. **मोहम्मद यूसुफ इलियास मौला और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य**[13] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने **कविता चंद्रकांत लखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य**[14] के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा[4] करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत मामला लाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने वाले आवश्यक तत्वों को इंगित करते हुए स्पष्ट रूप से माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, अपहरण के तथ्य को साबित करने के अलावा, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा

4. 13 - 2020 SCC online SC 1118 14- (2018) 6 SCC 664

कि उक्त अपहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 366 में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक के लिए था, और निम्नानुसार टिप्पणी की:–

> "8. भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI में मानव शरीर के खिलाफ अपराध शामिल हैं। धारा 366, जो प्रासंगिक प्रावधान है, इस अध्याय के भीतर निहित है। अपहरण को सरल शब्दों में धारा 359 के तहत परिभाषित किया गया है और इसके लिए अधिकतम सजा सात साल तक है और धारा 363 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, यदि अपहरण भीख मांगने, हत्या करने, फिरौती के लिए, महिलाओं को शादी के लिए प्रेरित करने, अवैध संभोग करने के इरादे से किया जाता है, तो धारा 363 ए से धारा 369 तक सख्त सजा का प्रावधान है।
>
> 9. धारा 366 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई किसी महिला का अपहरण इस इरादे से करता है कि उसे मजबूर किया जा सकता है या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, या तो उससे शादी करने के लिए या अवैध संभोग करने के लिए मजबूर/बहकाया जाएगा, उन्हें दस साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उक्त धारा के तहत अभियोजन पक्ष को न केवल अपहरण को सरलता से साबित करने के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें अपहरणकर्ता के उपर्युक्त विशिष्ट इरादे को दर्शाने के लिए सबूत पेश करने की भी आवश्यकता है। इसलिए, धारा 366 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, अपहरण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के तथ्य को साबित करने के अलावा, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि उक्त अपहरण धारा में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक के लिए था। इस मामले में अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना था कि पीड़िता की शादी करने के लिए आरोपी व्यक्तियों की ओर से मजबूरी थी। [कविता चंद्रकांत लखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) 6 एससीसी 664 देखें।]"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इस मामले में, अपीलकर्ता ने मृतक पीड़िता का उसके साथ अवैध संभोग करने के इरादे से अपहरण किया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न का अपराध सिद्ध पाया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 366 की आवश्यकता को पूरा करता है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत अपराधों को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और यह तर्क कि एक बार अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि कायम रहेगी क्योंकि अपहरण मृतक लड़की को अवैध संभोग के अधीन करने के उद्देश्य से किया गया

था, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध पाया गया है और इसलिए इस संबंध में दिए गए तर्क को खारिज किया जाता है।

23. अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी बारह वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार के लिए सजा प्रदान करती है और निम्नानुसार प्रावधान करती है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "376 एबी– **बारह वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार के लिए सजा**– जो कोई भी, बारह वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार करता है, उसे कम से कम बीस वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, और जुर्माना या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा:
>
> बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिए उचित और उचित होगा:
>
> आगे यह भी प्रावधान है कि इस धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़िता को भुगतान किया जाएगा।"

**24.** इसी तरह, पोक्सो अधिनियम की धारा 3 में प्रवेशात्मक यौन हमले को परिभाषित किया गया है और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 में गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमले के लिए सजा का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:

> **"6. गंभीर प्रवेश यौन हमले के लिए सजा**– (1) जो कोई भी गंभीर प्रवेश यौन हमला करता है, उसे कम से कम बीस वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, और जुर्माना या मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।
>
> (2) उप–धारा (1) के तहत लगाया गया जुर्माना न्यायसंगत और उचित होगा और पीड़ित को ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**25.** किसी बच्चे पर गंभीर प्रवेश यौन हमले को POCSO अधिनियम की धारा 5 (एम) में परिभाषित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:

> **"5. गंभीर प्रवेश यौन हमला**–

(एम) जो कोई भी बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेश यौन हमला करता है; या"

26. अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि अपीलकर्ता ने मृतक पीड़िता पर प्रवेशात्मक यौन हमला किया है क्योंकि उसके जननांग क्षेत्र पर 5 चोटें आई हैं और उसके पूरे शरीर पर कुल 21 चोटें पाई गई हैं, जो डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13) के बयान से साबित हुआ है और मृतक के साथ बलात्कार किया गया है और इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट एक्स.पी–32 से भी होती है, जिसे श्रीमती अपोलिना एक्का (पीडब्लू–17), राज्य एफएसएल, रायपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा साबित किया गया है, और जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी साबित पाया गया है, जिस पर इस अपील में आपत्ति की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13), जिन्होंने नाबालिग पीड़िता की जांच की है, ने मृतक पीड़िता के शरीर पर 21 बाहरी चोटें और उसके निजी अंगों पर 5 चोटें पाई हैं, जो निम्नानुसार हैं:

**<u>बाह्य चोटे–</u>**

1. निचले होठ पर दाहिने तरफ कंट्यूजन मौजूद था जिसका आकार 1cm×1cm था।

2. होठ के चारों तरफ खरोच मौजूद थे जिसका आकार 0.5cm×0.5cm था।

3. चेहरा कंजेस्टेड था।

4. निचले होठ के अंदरूनी भाग पर मसल्स के भीतर तक कटा फटा घाव मौजूद था जिसका आकार 0.7cm×0.5cm था। घाव के किनारों पर खून मौजूद था।

5. उपरी होठ के अंदरूनी भाग पर मसल्स के भीतर तक कटा फटा घाव मौजूद था जिसका आकार 1cm×0.5cm था। घाव के किनारों पर खून मौजूद था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. शव के दाहिने कंधे पर डेल्टाइड मसल्स एरिया पर खरोंचे मौजूद थी। जिसका आकार 1cm×0.1cm था।

7. शव के दाहिनी छाती पर खरोच तीसरे और चौथे पसली पर खरोचे मौजूद थी जिसका आकार 0.01cm×0.2cm था। शव के दाहिनी छाती के निप्पल के 3 सेमी उपर कांख की तरफ चोट मौजूद था।

8. शव के दांये भुजा के अंदरूनी भाग पर तीर खरोचे मौजूद थी जिनका आकार 1cm×1cm, 0.1cm×0.1cm जो दांये कंधे के 9 सेमी नीचे तथा बगल से 3 सेमी नीचे थी।

9. दाहिने भुजा के अंदरूनी निचले भाग पर खरोच था

जिसका आकार 1cmX1cm जो कंधे से 13 सेमी नीचे था।

10. दांये कोहनी तथा गुजा के बीच एक खरोच थी जिसका आकार 1cmX0.5cm था, जो कोहनी से 2 सेमी उपर था।

11. दांये भुजा के अंदरूनी भाग पर खरोचे मौजूद थी जिसका 1cmX1cm था, जो बगल से 4 सेमी नीचे थे।

12. दाहिने भुजा के अंदरूनी भाग पर खरोच मौजूद थी जिसका आकार 0.2cmX0.2cm था, जो दांये कोहनी से 4 सेमी उपर और कांख से 10 सेमी नीचे थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दांये भुजा के अंदरूनी भाग पर खरोच के निशान थे जिसका आकार 0.1cmX0.1cm था जो कोहनी के 6 सेमी उपर कांख से 10 सेमी नीचे था।

14. दाहिने मुजा के अंदरूनी भाग पर एक खरोच थी जिसका आकार 0.1cmX0.1cm था, जो कोहनी से 10 सेमी उपर और कांख से 6 सेमी नीचे था।

15. दाहिने घुटने के पीछे तीन खरोचे मौजूद थी जिनका आकार 1X1cm से लेकर 0.2X0.2cm था, जो घुटने के बगल में 7 सेमी उपर तथा घुटने के 11 सेमी अंदरूनी भाग पर थी।

16. बायें जांघ एक खरोच मौजूद थी जिसका आकार 0.1X0.1cm था जो घुटने के 3 सेमी उपर थी।

17. दांयी जांघ उपरी भाग पर एक खरोच मौजूद था जिसका आकार 0.2X0.2cm था, जो घुटने के 8 सेमी उपर तथा 7 सेमी अंदरूनी भाग पर था।

18. दांयी जांघ के पिछले हिस्से पर एक खरोच मौजूद थी जिसका आकार 0.1X0.1cm था, जो घुटने के 12 सेमी उपर तथा कमर की हड्डी से 14 सेमी नीचे थी।

19. एक खरोच दांयी जांघ उपरी भाग पर मौजूद थी, जिसका आकार 3X0.5cm था, जो घुटने के 7 सेमी उपर एवं कमर के 11 सेमी नीचे था।

20. दो खरोच बांयी जांघ पर मौजूद थी जिसका आकार 0.3cmX0.3cm से लेकर 0.5X0.3cm था, जो 3 सेमी कमर के नीचे एवं 11 सेमी घुटने के उपर था।

21. एक खरोच बांये कुल्हे पर था जिसका आकार 1cmX0.2cm था, जो गुदाद्वार से 5 सेमी पर तथा सैकाम हड्डी से 8 सेमी दूरी पर था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**28.** डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13) के बयान का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि नाबालिग पीड़िता के जननांग क्षेत्र (निजी अंग) पर भी पांच चोटें आई थीं और हाइमन भी फटी हुई पाई गई थी और सभी चोटों पर लालिमा थी जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए गए थे। डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13) ने अपने बयान के पैराग्राफ 9 में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जो निर्विवाद है। इतना ही नहीं, मृतक पीड़िता ने अपराध करने के समय जो फ्रॉक पहनी थी,

उसे एफएसएल को भेजा गया था और एफएसएल रिपोर्ट एक्स.पी–31 में उक्त फ्रॉक पर वीर्य और शुक्राणु पाए गए थे। अभियोजन पक्ष ने रासायनिक परीक्षण के लिए रक्त के नमूने के साथ–साथ द्रव के नमूने भी राज्य एफएसएल को भेजे हैं और इस संबंध में रिपोर्ट एक्स.पी–32 प्राप्त हुई है जिसमें अभियुक्त के रक्त के नमूनों से विकसित डीएनए नमूना पीड़िता के योनि स्वाब से विकसित डीएनए प्रोफाइलिंग से मेल खाता है। डॉक्टर की राय (एक्स.पी–32) में निम्नलिखित कहा गया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- प्रदर्श $H_2$ (1834) मृत्तिका कु. वेदिका के फॉक से डी.एन.ए. प्रोफाईल प्राप्त नही हुआ।

- प्रदर्श C (1757) मृतिका कु. वेदिका के वेजाईनल स्वाब, प्रदर्श D(1758) मृतिका कु. वेदिका के वेजाईनल स्लाईड, एवं प्रदर्श G (1761) मृतिका कु. प्रोफाईल प्राप्त हुआ। वेदिका के नेल स्केपिंग में मिश्रित डी.एन.ए. प्राप्त हुआ ।

- प्रदर्श D (1758) मृतिका कु. वेदिका की वेजाईनल स्लाईड, प्रदर्श G(1761) मृतिका कु. वेदिका के नेल स्केपिंग एवं प्रदर्श H2 (1834) मृतिका के फॉक से (Y) पुरूष डी.एन.ए. प्रोफाईल प्राप्त नहीं हुआ।

- प्रदर्श C (1757) मृतिका कु. वेदिका के वेजाईनल स्वाब से प्राप्त (Y) पुरूष डी.एन.ए. प्रोफाईल में प्रत्येक मार्कर पर पाये गये एलिल, प्रदर्श K(1762) आरोपी शेखर कोर्राम के रक्त

नमूना से प्राप्त (Y) पुरुष डी.एन.ए. प्रोफाईल में पाये गये प्रत्येक मार्कर के एलिल समान हैं।

**<u>अभिमतः–</u>**

डी.एन.ए प्रोफाइलिंग हेतु प्राप्त प्रदर्शों पर किये गये परीक्षण एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्नलिखित निश्चयात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं: –

1. प्रदर्श C (1757) में प्राप्त (Y) पुरूष डी.एन.ए. प्रोफाईल, प्रदर्श K(1762) से प्राप्त (Y) पुरूष डी.एन.ए. प्रोफाईल एक समान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि डीएनए रिपोर्ट को वास्तविक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह बचाव पक्ष द्वारा पूरी तरह से खराब न हो और इसे स्वीकार न करने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि डीएनए विश्लेषण के लिए कोई गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता आश्वासन नहीं था। **मुकेश (सुप्रा) में** सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपने पहले के फैसले की समीक्षा की और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा <u>53 ए</u> में निहित प्रावधानों पर विचार किया, जो कि बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच करने का प्रावधान है और जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण भी शामिल है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 ए पर भी विचार किया, जिसमें

डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण भी शामिल है, पैराग्राफ 228 में निम्नानुसार माना गया:

> "228. उपर्युक्त अधिकारियों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डीएनए रिपोर्ट तब तक स्वीकार किए जाने योग्य है जब तक कि यह पूरी तरह से खराब न हो और इसे स्वीकार न करने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि कोई गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता आश्वासन नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. **मुकेश** (सुप्रा) के मामले में डीएनए प्रोफाइलिंग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में, श्रीमती अपोलिना एक्का (पीडब्लू–17), जो कि राज्य एफएसएल, रायपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं, ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि डीएनए नमूने और डीएनए प्रोफाइल की रिपोर्ट सभी सावधानियों और वैज्ञानिक उपायों और मानकों के साथ तैयार की गई है और उनकी रिपोर्ट एक्स.पी–32 है जिसमें आरोपी के रक्त के नमूनों के माध्यम से विकसित डीएनए नमूने मृतक पीड़िता के योनि स्वाब के माध्यम से विकसित डीएनए प्रोफाइल से मेल खाते पाए गए हैं, ऐसे में कोई विवाद नहीं है और यह पूरी तरह से स्थापित हो गया है। इतना ही नहीं, अपीलकर्ता को डॉ. अनिल महाकालकर (पीडब्लू–16) द्वारा

संभोग करने में भी सक्षम पाया गया, जिन्होंने 24–8–2020 को आरोपी की जांच की है। उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता ने मृतक पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए थे और वह नाबालिग पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न करने का दोषी है। पोक्सो अधिनियम की धारा 42 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, अपीलकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत मौत की सजा सुनाई गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि:</u>**

**31.** विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत भी अपराध के लिए दोषी ठहराया है, जिसे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने गंभीरता से चुनौती दी है। इस संबंध में किए गए निवेदन पर विचार करने के लिए, सबसे पहले यह विचार करना उचित होगा कि क्या मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी, क्योंकि विचारण न्यायालय ने मृत्यु को हत्या की प्रकृति का माना है और अपीलकर्ता को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था; मृतक के शव की बरामदगी अपीलकर्ता के प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में की गई है; आरोपी के रक्त से

प्राप्त डीएनए नमूना मृतक के योनि स्वैब से मेल खाता था; तथा मृतक का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल किए गए तकिए के कवर पर मृतक की लार पाई गई थी। इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल आरोपी की परिकल्पना के अनुरूप हैं तथा परिस्थितियों की श्रृंखला अपीलकर्ता के विरुद्ध पूरी है, जिसे अपीलकर्ता की ओर से गंभीरता से चुनौती दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. इस प्रकार की गई चुनौती का समाधान करने के लिए, सबसे पहले यह नोटिस करना उचित होगा कि क्या मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी, जिसे विचारण न्यायालय ने साबित पाया है और अपीलकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है। मृतक का शव 22–8–2020 को आरोपी के घर से उसके खुलासे के बयान पर बरामद किया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक्स.पी–34 में मृतक की मौत का कारण गला घोंटना बताया गया है, जिसे डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13) ने साबित किया है, जिन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया था। पैराग्राफ 26 में ऊपर उद्धृत डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13) के बयान का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर पता चलता है कि पीड़ित/मृतक के शरीर पर 21 चोटें पाई गई हैं और मृतक के निजी अंग पर पांच चोटें देखी गई हैं।

आंतरिक जांच में, डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13) ने मृतक के हृदय में गहरे रंग का रक्त पाया है तथा बाएं और दाएं फेफड़े में रक्त जमा हुआ था। पैराग्राफ 9 में, उन्होंने कहा है कि मौत का कारण दम घुटना था, अर्थात नाक और मुंह दबाकर और मौत हत्या की प्रकृति की थी। बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रभावी जिरह नहीं की गई है। डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13) के बयान के पैराग्राफ 6 में निम्नलिखित कहा गया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**आंतरिक परीक्षण–**

1. सिर की त्वचा तथा हड्डिया और अंदरुनी झिल्ली यथावत थी, भेजा यथावत तथा कंजेस्टेड था।

2. पसली, परदा, कोमलस्व यथावत था। फुफ्फस यथावत तथा कंजेस्टेड था। कंठ और श्वासनली यथावत थी। दाहिने तथा बांया फेफड़ा कंजेस्टेड तथा यथावत था। फेफड़े को काटने के बाद ब्लड और द्रव निकल रहा था। रक्त स्त्राव की जगह पर पेटेचियर मौजूद था। पेरिआर परकसिया यथावत था । हृदय सामान्य का यथावत था। हृदय के अंदर डार्क खून था और पेटेचियर था ।

3. यथावत थी । उदर का पर्दा, आंतो की झिल्ली, मुंह, ग्रासनली तथा ग्रसनी यथावत थी ।

4. पेट एवं उसके भीतर की वस्तुएँ यथावत थी तथा पेट खाली था । छोटी आंत एवं बड़ी आंत व उसके भीतर की वस्तुएँ यथावत थी तथा उनमें गैस तथा मल भरा हुआ था ।

5. यकृत, प्लीहा, गुर्दा यथावत व कंजेस्टेड था ।

6. भीतरी एवं बाहरी जननेंद्रिया सामान्य आकार की थी एवं जननेंद्रिया अविकसित थी, गर्भाशय का आकार 2 गुणा 1.5 गुणा 0.5 सेमी था । ओवरी का आकार 2 गुणा 1 गुणा 0.5 सेमी था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने मोदी के मेडिकल न्यायशास्त्र और विष विज्ञान पर भरोसा करते हुए, **सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य**[15] के मामले में, दम घुटने / दम घुटने के लक्षणों / संकेतों को विस्तृत रूप से बताया है, जिन्हें हम यहां उजागर कर रहे हैं और निम्नानुसार माना गया है:–[5]

"14. पोस्टमार्टम उपस्थिति के संबंध में, मोदी में कहा गया है:–

"मरणोपरांत उपस्थिति पोस्टमार्टम उपस्थिति बाह्य और आंतरिक होती है

5 15- (2009) 14 scc 415

i) बाह्य उपस्थिति बाह्य उपस्थिति घुटन पैदा करने वाले कारण या श्वासावरोध के कारण हो सकती है–

**(a) घुटन पैदा करने वाले कारण के कारण उपस्थिति** – मुंह और नाक पर हाथ के जबरदस्ती लगाने से प्रभावित होम्यिसाइडल स्मूटिंग में, होठों और मुंह के कोनों पर और नाक के साथ–साथ अक्सर खरोंच और घर्षण पाए जाते हैं। होठों की आंतरिक म्यूकोसल सतह दांतों पर दबाव से कटी हुई पाई जा सकती है। नाक चपटी हो सकती है, और हाथ के दबाव से उसका पट टूट सकता है, लेकिन मोदी के अनुभव में ये संकेत बहुत दुर्लभ हैं। अगर संघर्ष हुआ है, तो गालों और दाढ़ के क्षेत्रों या निचले जबड़े पर खरोंच और घर्षण हो सकते हैं। शायद ही कभी, फ्रैक्चर या घर्षण होता है। गर्दन को हाथ से दबाने की कोशिश में जबरदस्ती मरोड़ने पर ग्रीवा कशेरुकाओं का विस्थापन हो सकता है। अगर मुंह और नाक को बंद करने के लिए मुलायम कपड़े या तकिए का इस्तेमाल किया गया है, तो हिंसा के कोई स्थानीय संकेत नहीं मिलेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छाती के संपीड़न में, चोट के बाहरी लक्षण मौजूद नहीं हो सकते हैं, लेकिन पसलियों में आमतौर पर दोनों तरफ फ्रैक्चर होता है। हत्यारे के हाथों या घुटनों या किसी अन्य कठोर पदार्थ द्वारा छाती के मानव–हत्या के संपीड़न में, दोनों तरफ सममित रूप से चोट और घर्षण, आमतौर पर त्वचा पर पाए जाते हैं, साथ ही चमड़े के नीचे के ऊतकों में रक्त का रिसाव होता है। शायद ही कभी, पसलियों के साथ–साथ उरोस्थि भी फ्रैक्चर हो जाती है। हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि दर्दनाक श्वासावरोध परिवर्तनशील निष्कर्ष उत्पन्न करता है। एक गोरे व्यक्ति में, यांत्रिक संपीड़न द्वारा छाती के गंभीर निर्धारण में संपीड़न बिंदु से ऊपर त्वचा का बैंगनी रंग का

होना स्पष्ट है। कोई बाहरी या आंतरिक संकेत नहीं हो सकता है, जहां दबाव हल्का या समान रूप से वितरित होता है।

**(बी) श्वासावरोध के कारण उपस्थिति**– चेहरा पीला या धँसा हुआ हो सकता है। आँखें खुली हुई हैं, नेत्रगोलक उभरे हुए हैं, और कंजाक्तिवा भरा हुआ है और कभी–कभी पेटीकियल रक्तस्राव होता है, होंठ लाल हैं, और जीभ कभी–कभी बाहर निकली हुई है। मुंह और नाक से खूनी झाग निकलता है। त्वचा में अंगों की लालिमा के साथ पंक्टीफॉर्म एक्चिमोसिस दिखाई देता है। सांस लेने के हिंसक प्रयास से टिम्पेनम का टूटना हो सकता है।

(ii) आंतरिक उपस्थिति

मुंह, गले, स्वरयंत्र या श्वासनली में चीथड़े, कीचड़ या कोई अन्य विदेशी पदार्थ पाया जा सकता है, जब वायुमार्ग में किसी विदेशी पदार्थ के फंसने के कारण दम घुटता है। यह ग्रसनी या अन्नप्रणाली में भी पाया जा सकता है। श्वासनली की श्लेष्म झिल्ली आमतौर पर चमकीली लाल होती है, खूनी झाग से ढकी होती है और भरी हुई होती है। फेफड़े भरे हुए और वातस्फीतियुक्त होते हैं। यदि मृत्यु छाती पर दबाव के कारण हुई है, तो वे पसलियों के किसी फ्रैक्चर के बिना भी फटे या घायल हो सकते हैं। पंक्टीफॉर्म सबप्ल्यूरल एक्चिमोसिस (टार्डियू स्पॉट) आमतौर पर फेफड़ों की जड़, आधार और निचले किनारों पर मौजूद होते हैं, लेकिन वे दम घुटने से मृत्यु की विशेषता नहीं हैं, क्योंकि वे अन्य कारणों से होने वाली एस्फिक्सिया मृत्यु में भी मौजूद हो सकते हैं। वे थाइमस, पेरीकार्डियम और कोरोनरी वाहिकाओं की जड़ों पर भी पाए जाते हैं। यदि मृत्यु तेजी से हुई है, तो फेफड़े बिल्कुल सामान्य पाए जा सकते हैं। हृदय का दाहिना भाग अक्सर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गहरे रंग के तरल रक्त से भरा होता है, और बायाँ भाग खाली होता है। रक्त आसानी से जमता नहीं है; इसलिए, मृत्यु के बाद हुए घाव से खून बह सकता है। मस्तिष्क आम तौर पर भरा हुआ होता है, और इसी तरह पेट के अंग, विशेष रूप से यकृत, प्लीहा और गुर्दे भी भरे हुए होते हैं।"

15. लेखक की राय में, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मुंह और नाक के आसपास या श्लेष्म सतह के अंदर या छाती पर बाहरी निशान के रूप में हिंसा के सबूतों की तलाश करना बहुत आवश्यक है। विद्वान लेखक के अनुसार, दम घुटने से मौत के सबूत को स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**34.** सुप्रीम कोर्ट द्वारा विस्तृत रूप से बताए गए गला घोंटने के मामले में पोस्टमार्टम उपस्थिति के संबंध में **सुब्रमण्यम (सुप्रा)** में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 14 और 15 के अनुसार, इस मामले में मृतक के शरीर पर गला घोंटने के संकेत / लक्षण थे जैसे कि आंतरिक उपस्थिति, फेफड़े बंद थे और हृदय में, गहरे रंग का रक्त पाया गया था। इस प्रकार, यह विधिवत साबित हो गया है कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में हत्या थी, जिसे डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13) ने भी कहा है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। इसलिए, यह विधिवत साबित हो गया है कि मृत्यु की प्रकृति हत्या थी।

**35.** अब, सवाल यह है कि क्या विचारण न्यायालय ने सही ढंग से माना है कि अपीलकर्ता द्वारा अपराध किया गया है?

**<u>अंतिम बार एक साथ देखा गया:–</u>**

**36.** अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत विचारण न्यायालय द्वारा सिद्ध पाया गया है, जिसका इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से जोरदार विरोध किया गया है। 13 मई, 2022 को **<u>वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य</u>**[16] के मामले में दिए गए एक बहुत ही हालिया फैसले में, **<u>निज़ाम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य</u>**[17] के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते[6] हुए सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने माना है कि केवल 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' के आधार पर दोषसिद्धि करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। यह आगे माना गया कि जहां 'अंतिम बार देखे जाने' और 'घटना के समय' के बीच का समय अंतराल लंबा है, वहां केवल 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' के आधार पर दोषसिद्धि को आधार बनाना असुरक्षित होगा और माना कि ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य परिस्थितियों और साक्ष्यों से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

66 criminal appeal nos. 5&6 of 2018

17(2017) 1 SCC 550

पुष्टि की तलाश करना सुरक्षित है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 32.1 से 32.4 में इसे इस प्रकार माना गया है:

"32.1 निज़ाम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य [(2016) 1 एससीसी 550] के फैसले में इस न्यायालय ने माना कि केवल 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' के आधार पर दोषसिद्धि करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। इस न्यायालय ने, स्पष्ट रूप से, चेतावनी दी कि जहां 'अंतिम बार देखे जाने' और 'घटना के समय' के बीच का समय अंतराल लंबा है, वहां केवल 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' के आधार पर दोषसिद्धि को आधार बनाना असुरक्षित होगा और माना कि ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य परिस्थितियों और सबूतों से पुष्टि की उम्मीद करना सुरक्षित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32.2 राजस्थान राज्य बनाम काशी राम में (2006) 12 एससीसी 254 में रिपोर्ट की गई, पैराग्राफ 23 में इस न्यायालय ने माना:–

"23. अधिकारियों के साथ गुणा करना आवश्यक नहीं है। सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान स्वयं स्पष्ट और स्पष्ट हैं कि जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया है, तो उसे यह स्पष्टीकरण देना होगा कि वह कैसे और कब अलग हुआ। उसे ऐसा स्पष्टीकरण देना होगा जो न्यायालय को संभावित और संतोषजनक लगे। यदि वह ऐसा करता

है तो उसे अपना भार वहन करने वाला माना जाएगा। यदि वह अपने विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रहता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में यदि अभियुक्त अपने ऊपर डाले गए भार के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो यह अपने आप में उसके विरुद्ध साबित परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है। धारा 106 आपराधिक मुकदमे में साबित करने के भार को स्थानांतरित नहीं करती है, जो हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। इसमें यह नियम बनाया गया है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में हैं और जो उसकी बेगुनाही के साथ संगत किसी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकते, तो अदालत किसी भी स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने में उसकी विफलता को एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में मान सकती है जो श्रृंखला को पूरा करती है। इस सिद्धांत को नैना मोहम्मद, एआईआर 1960 मैड 218: 1960 सीआरएल एलजे 620 में संक्षेप में बताया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32.3 अरबिंद्र मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(2011) 14 एससीसी 352] में, भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364, 120 बी और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सजा पाए दोषी की अपील को खारिज करते हुए, इस अदालत ने कहा: "एक बार जब अपीलकर्ता को मृतका के साथ आखिरी बार देखा गया था, तो यह दिखाने का दायित्व उसका है कि या तो वह

घटना में शामिल नहीं था या उसने मृतका को उसके घर या किसी अन्य उचित स्थान पर छोड़ दिया था। अंतिम बार देखे जाने के सबूत और कानून में इसके परिणाम का खंडन करने के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत पेश करने का दायित्व अभियुक्त पर था।"

32.4 पट्टू राजन बनाम तमिलनाडु राज्य [(2019) 4 एससीसी 771] इस न्यायालय ने पैराग्राफ 63 में इस प्रकार कहा:–

"यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत, यदि सिद्ध हो जाता है, तो सबूत का भार अभियुक्त पर आ जाता है, तथा उस पर यह स्पष्ट करने का दायित्व आ जाता है कि घटना कैसे घटी तथा पीड़ित के साथ क्या हुआ, जिसे अंतिम बार उसके साथ देखा गया था। अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफलता, जैसा कि वर्तमान मामले में है, या गलत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने से उसके विरुद्ध तथा उसके दोष के पक्ष में मजबूत अनुमान उत्पन्न होगा, तथा परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करेगा।" (जोर दिया गया)

**37.** इसी प्रकार, **सतपाल बनाम हरियाणा राज्य**[18] के मामले में, अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को अपने आप में एक कमजोर साक्ष्य माना गया है, जिसके आधार पर अकेले दोषसिद्धि नहीं की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जा सकती, जब तक कि इसे अन्य परिस्थितियों के साथ न जोड़ा जाए, तथा निम्नानुसार टिप्पणी की गई:

"6. हमने संबंधित प्रस्तुतियों तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार किया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन केवल परिस्थितियों के साथ मृतक को अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार देखा गया था। आपराधिक न्यायशास्त्र और न्यायिक मिसालों की अधिकता परिस्थितिजन्य साक्ष्य के पहलू के रूप में अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को लागू करने के लिए बुनियादी[7] सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। संक्षेप में कहा जाए तो, यह अपने आप में एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य हो सकता है, जिसके आधार पर अकेले ही दोषसिद्धि पाई जा सकती है। लेकिन जब इसे अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि मृतक को आखिरी बार अभियुक्त के साथ कब देखा गया था, और शव की बरामदगी समय के बहुत करीब थी, तो अभियुक्त को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उन परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिनके तहत मृत्यु हुई हो सकती है। यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या गलत स्पष्टीकरण देता है, फरार हो जाता है, तो मकसद स्थापित है, और बरामदगी के रूप में या अन्यथा परिस्थितियों की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7 18- (2018)6 SCC 610

एक श्रृंखला बनाने वाले साक्ष्य उपलब्ध हैं जो अभियुक्त के अपराध के लिए एकमात्र अनुमान की ओर ले जाते हैं, जो निर्दोषता की किसी भी संभावित परिकल्पना के साथ असंगत है, दोषसिद्धि उसी के आधार पर हो सकती है। यदि परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी में कोई संदेह या टूटन है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को जाना चाहिए। इसलिए सिद्धांत के आह्वान के लिए प्रत्येक मामले की अपने तथ्यों पर जांच करनी होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**38.** वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, पीड़िता 22–8–2020 को शाम लगभग 4 बजे लापता पाई गई और शव बरामदगी पंचनामा प्र.पी–15 के अनुसार उसी दिन रात 11.10 बजे अपीलकर्ता के घर से बरामद किया गया और अपीलकर्ता को नाबालिग पीड़िता को नारद सिन्हा (पीडब्लू–2), जो स्वतंत्र गवाह है, और भुनेश्वरी (पीडब्लू–10) द्वारा ले जाते हुए देखा गया था। नारद सिन्हा (पीडब्लू–2) ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह पूछे जाने पर कि लड़की कौन थी, अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि वह ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव (पीडब्लू–1) की बेटी है और उसके बाद, मृतका लापता हो गई और बाद में अपीलकर्ता के घर में मृत

पाई गई। इस प्रकार, अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्थापित होता है।

39. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। ऐसे मामले में जहां अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है, उसे न केवल परिस्थितियों को साबित करना चाहिए बल्कि उन्हें इस तरह से जोड़ना चाहिए कि एक अंतहीन श्रृंखला बन जाए यानी आरोपी का अपराध। लेकिन अगर आरोपी के निर्दोष होने की कोई संभावना है या अपराध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।[8]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**[19] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित कानून यह है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः स्थापित कहे जाने से पहले जो शर्तें पूरी होनी चाहिए, वे इस प्रकार हैं:–

8. 19- (1984) 4 SCC 116

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए या होनी चाहिए, न कि केवल 'हो सकती हैं'।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**41.** **शरद बिरधीचंद सारदा** (सुप्रा) में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे माना है कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल हो, कानूनी प्रमाण की जगह नहीं ले सकता। यह भी माना गया है कि आपराधिक न्याय का सुस्थापित नियम है कि "अपराध जितना गंभीर होगा, सबूत उतना ही अधिक होगा" और मृत्युदंड के मामले में, बहुत सावधान,

सतर्क और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक था। रिपोर्ट के पैराग्राफ 180 में निम्नलिखित रूप में देखा गया है: –

> "180. यह याद रखना चाहिए कि आपराधिक न्याय का सुस्थापित नियम है कि "अपराध जितना गंभीर होगा, सबूत उतना ही अधिक होगा"। वर्तमान मामले में, व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता दांव पर लगी थी। चूंकि अभियुक्त को मृत्युदंड दिया गया था, इसलिए बहुत सावधान, सतर्क और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>मृतक के शव की जब्ती एवं स्मरणीय कथन:–</u>**

42. मृतक पीड़िता का शव अपीलकर्ता के घर से उसके प्रकटीकरण कथन प्र.पी–14 के अनुसार बरामद किया गया था तथा प्र.पी–15 के अनुसार बरामद किया गया था तथा अपराध में प्रयुक्त तकिया कवर भी प्र.पी–16 के अनुसार बरामद किया गया था। प्रकटीकरण कथन प्र.पी–14 एवं मृतक के शव की बरामदगी को सुग्रीव साहू (पीडब्लू–5) एवं देवेन्द्र कुमार (पीडब्लू–6) द्वारा सिद्ध किया गया है। सुग्रीव साहू (पीडब्लू–5) ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन प्र.पी–14 के आधार पर मृतक पीड़िता का शव अपीलकर्ता के घर से दीवार एवं दीवान खाट के मध्य प्र.पी–15 के

अनुसार बरामद किया गया था। पैरा 7 में उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का स्पष्ट समर्थन किया है कि अपीलकर्ता के प्रकटीकरण कथन के अनुसार उनकी उपस्थिति में मृतक का शव एवं तकिया कवर बरामद किया गया था। हालांकि उनसे लंबी जिरह की गई, लेकिन उन्होंने अदालत के समक्ष अपना बयान कायम रखा। इसी तरह, देवेंद्र कुमार (पीडब्लू–6) ने भी प्रकटीकरण कथन प्र.पी–14, मृतक के शव की बरामदगी प्र.पी–15 और तकिए के कवर की बरामदगी प्र.पी–16 का समर्थन और प्रमाण दिया है। इस प्रकार, सुग्रीव साहू (पीडब्लू–5) और देवेंद्र कुमार (पीडब्लू–6) ने अभियुक्त के घर से ज्ञापन कथन प्र.पी–14, शव की बरामदगी प्र.पी–15 और तकिए के कवर की बरामदगी प्र.पी–16 को मजबूती से साबित किया है। इसलिए, अपीलकर्ता के कहने पर शव की बरामदगी हुई है, जिसे प्रकटीकरण कथन से स्थापित किया गया है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितियों को मजबूती से साबित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**43.** आगे यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता ने मृतका के मुंह को तकिये के कवर से दबाया था जिससे उसकी मौत हो गई और उक्त तकिये के कवर को अभियुक्त के ज्ञापन एक्स.पी–14 के अनुसार एक्स.पी–16 के

माध्यम से बरामद किया गया था और उसे रासायनिक जांच के लिए राज्य एफएसएल को भेजा गया था, जहां से एक्स.पी–31 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें तकिये के कवर पर लार पाई गई थी। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उक्त लार को कभी भी डीएनए विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था, जो साबित करता है कि लार मृतका की थी, हालांकि, विचारण न्यायालय ने माना है कि लार मृतका की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**44.** यह सच है कि लार को मृतका का होने का दावा करने वाली कोई डीएनए रिपोर्ट नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता के कहने पर तकिए के कवर की बरामदगी और उक्त तकिए के कवर पर लार की मौजूदगी मात्र से यह साबित नहीं होता कि उक्त लार मृतका की थी और तकिए के कवर का इस्तेमाल मृतका का गला घोंटने और उसकी मौत का कारण बनने के लिए किया गया था, लेकिन इससे अपीलकर्ता को अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य आपत्तिजनक परिस्थितियां उपलब्ध हैं और सिद्ध पाई गई हैं।

**<u>एफएसएल रिपोर्ट और डीएनए विश्लेषण:</u>**

**45.** मृतक पीड़िता के योनि के स्वाब पोस्टमार्टम के दौरान डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13) द्वारा तैयार किए गए थे और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्स.पी–34 है। अपीलकर्ता के रक्त के नमूने एक्स.पी–25 के तहत एकत्र किए गए और डीएनए विश्लेषण के लिए भेजे गए। मृतका के योनि के स्वाब से निकाले गए डीएनए प्रोफाइल और अपीलकर्ता के रक्त के नमूनों की जांच करने पर पाया गया कि योनि के स्वाब से उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल अपीलकर्ता के रक्त के नमूनों से उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है अपोलिना एक्का (पीडब्लू–17), राज्य एफएसएल, रायपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्होंने डीएनए रिपोर्ट एक्स.पी–32 तैयार की और उसे प्रमाणित किया। **मुकेश (सुप्रा)** में डीएनए को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य माना गया है। इसी तरह, डॉ. दत्ता सोरटे (पीडब्लू–13) द्वारा पोस्टमॉर्टम के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता का फ्रॉक भी तटस्थ उद्धरण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक्स.पी–34 के अनुसार जब्त किया गया था और आर्टिकल एच 2 के रूप में चिह्नित उक्त फ्रॉक को एक्स.पी–38 के अनुसार एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था और फोरेंसिक जांच के बाद मृतका के फ्रॉक पर वीर्य और शुक्राणु के धब्बे मौजूद थे। इसी तरह, मृतका का शव अपीलकर्ता के घर के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बिस्तर और दीवार के बीच पाया गया था जिसे अपीलकर्ता के प्रकटीकरण कथन के अनुसार बरामद किया गया था।

**46.** मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मृतक के साथ अपीलकर्ता के अंतिम बार साथ देखे जाने का यह एकमात्र सबूत नहीं है, इसके अलावा शव की बरामदगी एक्स.पी–15 के तहत की गई थी और इसे विचारण न्यायालय और हमारे द्वारा भी पूर्वगामी पैराग्राफ में साबित पाया गया है। इसके अलावा, एफएसएल रिपोर्ट एक्स.पी–31 भी दिखाएगी कि मृतक आर्टिकल एच 2 के फ्रॉक पर शुक्राणु और वीर्य के धब्बे पाए गए थे। इसी तरह, पोस्टमॉर्टम के दौरान पीड़िता के योनि स्वैब तैयार किए गए और जांच में मृतक के योनि स्वैब से निकाले गए डीएनए प्रोफाइल और अपीलकर्ता के रक्त के नमूनों से उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल का मिलान पाया गया। डीएनए रिपोर्ट एक्स.पी–32 को श्रीमती अपोलिना एक्का (पीडब्लू–17) द्वारा साबित किया गया है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने अंतिम बार एक साथ देखे जाने के आधार पर, जो विधिवत रूप से स्थापित और सिद्ध हो चुका है और अभियुक्तों के प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में शव की बरामदगी के आधार पर, जो सुग्रीव साहू (पीडब्लू–5) और देवेंद्र

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुमार (पीडब्लू–6) द्वारा विधिवत सिद्ध किया जा चुका है और इसके अलावा, एफएसएल रिपोर्ट एक्स.पी–31 और डीएनए प्रोफाइलिंग एक्स.पी–32 के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ उपरोक्त निष्कर्ष दर्ज किया है।

**47.** इस प्रकार, रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य की सराहना करने के बाद, हमें मौखिक, चिकित्सा और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना करने या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के अपराध के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई अवैधता नहीं लगती है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो और हम तदनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**48.** पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई करने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात, हमें निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई विकृति या अवैधता नहीं मिली, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के

अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। हम इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं, क्योंकि अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

**49.** अब अगला सवाल विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा का होगा, जिसमें निर्देश दिया गया है कि उसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए और इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अनुसार पुष्टि के लिए हमारे पास भेजा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>मौत की सजा</u>**

50. अब, एकमात्र सवाल यह है कि क्या यह मामला मृत्युदंड को उचित ठहराने वाले दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने असंख्य निर्णयों में मृत्युदंड देने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिसके लिए गंभीर परिस्थितियों और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना होगा। अभियुक्त की आयु, सुधार की संभावना और हत्या के इरादे की कमी जैसे सात अन्य कारकों को भी न्यायिक दिमाग में रखना होगा।

**51.** भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि या मृत्यु दंड या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि के मामले में, न्यायालय को ऐसी सजा देने के लिए विशेष कारण और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 की उपधारा (3) के अनुसार मृत्यु दंड देने के लिए विशेष कारण बताना आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 की उपधारा (3) इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "धारा 354 (3): जब दोषसिद्धि मृत्यु दंड या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए हो, तो निर्णय में दी गई सजा के कारण और मृत्यु दंड के मामले में ऐसी सजा के विशेष कारण बताए जाएंगे।"

**52.** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) की भाषा विधायी चिंता और उन शर्तों को दर्शाती है जिन्हें मृत्यु दंड लगाने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। 'मृत्यु दण्ड के मामले में, ऐसे दण्ड के लिए विशेष कारण' शब्द स्पष्ट रूप से विधानमंडल के आदेश को प्रदर्शित करते हैं कि मृत्यु दण्ड का दण्ड अधिरोपित करने के लिए

ऐसे कारणों को अभिलिखित किया जाना चाहिए, अर्थात् न्यायालय को यह मानना आवश्यक है कि यह विरलतम में से विरलतम मामला है, जिसके लिए केवल मृत्यु दण्ड ही अधिरोपित किया जाना चाहिए।

53. अभी हाल ही में **मनोज एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[20] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सिंह (सुप्रा) से शुरू होने वाले बिंदु पर संपूर्ण केस कानूनों की समीक्षा करते हुए पैराग्राफ 204 में निम्न प्रकार से निर्णय दिया:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "204. सामान्य रूप से अपराध को कम करने वाले कारक, किए गए अपराध को उचित ठहराने या वैध ठहराने के बजाय, अपराधी के आस–पास की परिस्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि न्यायाधीश मृत्युदंड या आजीवन कारावास के बीच निर्णय ले सके।
>
> [9]
>
> बचन सिंह[11] में ही सबसे पहले पहचाने गए संकेतकों की एक उदाहरणात्मक सूची:–
>
> "अपराध को कम करने वाले कारक – उपरोक्त मामलों में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा:

9. 20 criminal appeal nos.248-250 of 2015, decided on 20.05.2022

(1) यह कि अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किया गया था।

(2) अभियुक्त की आयु। यदि अभियुक्त युवा या वृद्ध है, तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।

(3) अभियुक्त द्वारा हिंसा के ऐसे आपराधिक कृत्य न करने की संभावना जो समाज के लिए निरंतर खतरा बनेंगे।

(4) अभियुक्त द्वारा सुधारे जाने और पुनर्वास किए जाने की संभावना। राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि अभियुक्त उपरोक्त शर्तों (3) और (4) को पूरा नहीं करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का मानना था कि अपराध करने में वह नैतिक रूप से उचित था।

(6) अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या प्रभुत्व में काम किया।

(7) अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और उक्त दोष ने उसके आचरण की आपराधिकता को समझने की उसकी क्षमता को क्षीण कर दिया था।

ये शायद ही संपूर्ण हों; इसके बाद, इस अदालत ने कई फैसलों में कम उम्र, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, मानसिक बीमारी, आपराधिक इतिहास जैसे आधारों पर सजा के सवालों पर प्रासंगिक संकेतकों के रूप में आजीवन कारावास में बदलने को मान्यता दी और उस पर विचार किया। इनमें से कई कारक अभियुक्त के सुधरने की स्पष्ट क्षमता या महज

संभावना को दर्शाते हैं (यानी बचन सिंह सूची के (3) और (4)), जो सजा सुनाए जाने के समय उन्हें महत्वपूर्ण संकेतक बनाते हैं।"

इनमें माननीय न्यायाधीशो ने सजा से पहले सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया – अभियुक्त के बारे में सामग्री उपलब्ध कराने का अवसर और दायित्व और पैराग्राफ 211 और 212 में निम्नानुसार माना:

"211. हालांकि, यह भी बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है दुर्भाग्यिपूर्ण वास्तविकता यह है कि अभाव में परीक्षण के स्तर पर अच्छी तरह से प्रलेखित कम करने वाली परिस्थितियों के बावजूद, गंभीर परिस्थितियाँ कहीं अधिक बाध्यकारी या भारी लगती हैं, जो सजा देने वाली अदालत को बच्चन सिंह परीक्षण के अधूरे और इसलिए गलत आवेदन के आधार पर मृत्युदंड लगाने के लिए प्रवृत्त करती हैं।[10]

212. सुधार का लक्ष्य आदर्श है, और समाज को किस दिशा में प्रयास करना चाहिए – इस अदालत के न्यायशास्त्र में दशकों से इसके कई संदर्भ मिले हैं – लेकिन जो कमी है वह एक ठोस ढांचे की है जो इसे माप और मूल्यांकन कर सके। दुर्भाग्य से, यह एक सार्थक प्रकार के जेल सुधारों को लागू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. 21 Mahesh Dhanaji Shinde v. State of Maharashtra (2014) 4 SCC 292, Gurvail Singh v. State of Punjab (2013) 2 SCC 713, etc.

22. Mulla and another v. State of U.P. (2010) 3 SCC 508; Kamleshwar Paswan v. U.T. Chandigarh (2011) 11 SCC 564; Sunil Gaikwad v. State of Maharashtra (2014) 1 SCC 129

23. Shatrughan Chauhan v. Union of India (2014) 3 SCC 1

24. Dilip Premnarayan Tiwari v. State of Maharashtra, (2010) 1 SCC 775

करने में विफलता से प्रतिबिंबित होता है, जिसने सामान्य रूप से कारावास और जेलों की प्रक्रिया को प्रणालीगत सुधार के लिए सीमित क्षमता का स्थान बना दिया है। सुधारात्मक सजा के लक्ष्य के लिए ऐसी प्रणालियों की आवश्यकता होती है जो सूक्ष्म नीति निर्माण के परिणामस्वरूप सुधार और पुनर्वास को सक्रिय रूप से सक्षम बनाती हैं। इन विषम परिणामों को सही करने और अभियुक्तों के सुधार की संभावना (आचरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के अस्पष्ट संदर्भों से परे) के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा के लिए एक छोटे कदम के रूप में, यह न्यायालय न्यायालयों के लिए व्यावहारिक दिशा–निर्देश तैयार करना आवश्यक समझता है, जिन्हें तब तक अपनाया और लागू किया जाना चाहिए, जब तक कि विधायिका और कार्यपालिका कानून के माध्यम से एक सुसंगत रूपरेखा तैयार नहीं कर लेती। ये दिशा–निर्देश मार्गदर्शन या विचार भी प्रदान कर सकते हैं, जिससे इस तरह के विधायी ढांचे को लाभ हो सकता है, ताकि परिस्थितियों को कम करने के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्र और उसका मूल्यांकन किया जा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके बाद, माननीय न्यायाधीशों ने परिस्थितियों को कम करने के लिए व्यावहारिक दिशा–निर्देश जारी किए और पैराग्राफ 213 से 217 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

"213. यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि अपराध की क्रूरता के प्रति प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया में फंसने से बचने के लिए परीक्षण चरण में परिस्थितियों को कम करने

पर विचार किया जाए, जैसा कि अपीलीय चरण तक पहुंचने वाले अधिकांश मामलों में स्पष्ट रूप से स्थिति है।

214. ऐसा करने के लिए, परीक्षण न्यायालय को अभियुक्त और राज्य दोनों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। राज्य को, मृत्युदंड वाले अपराध के लिए, उचित चरण पर, सत्र न्यायालय के समक्ष, अभियुक्त के मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का खुलासा करते हुए, अधिमानतः पहले से एकत्रित सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे अपराध करने के समय अभियुक्त व्यक्ति की मनःस्थिति (या मानसिक बीमारी, यदि कोई हो) से निकटता (समयरेखा के संदर्भ में) स्थापित करने में मदद मिलेगी और बचन सिंह में बताए गए कारकों (1), (5), (6) और (7) को कम करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। यहां तक कि (3) और (4) के अन्य कारकों के लिए भी, जो पूरी तरह से राज्य पर है – अपराध के तुरंत बाद मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के इस रूप का संचालन करना, अपीलीय न्यायालयों को तुलना के लिए उपयोग करने के लिए एक आधार रेखा प्रदान करेगा, अर्थात, कारावास अवधि के दौरान सुधार की दिशा में अभियुक्त की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

215. इसके बाद, राज्य को समयबद्ध तरीके से अभियुक्त से संबंधित अतिरिक्त जानकारी एकत्र करनी चाहिए। एक उदाहरणात्मक, लेकिन संपूर्ण नहीं सूची इस प्रकार है:

क) आयु

ख) प्रारंभिक पारिवारिक पृष्ठभूमि (भाई–बहन, माता–पिता का संरक्षण, हिंसा या उपेक्षा का कोई इतिहास)

ग) वर्तमान पारिवारिक पृष्ठभूमि (जीवित परिवार के सदस्य, चाहे विवाहित हों, बच्चे हों, आदि)

घ) शिक्षा का प्रकार और स्तर

ङ) सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि (गरीबी या अभाव की स्थिति सहित, यदि कोई हो)

च) आपराधिक पृष्ठभूमि (अपराध का विवरण और क्या दोषी ठहराया गया, सजा काटी गई, यदि कोई हो)

छ) आय और रोजगार का प्रकार (क्या कोई नहीं है, या अस्थायी या स्थायी आदि);

ज) अन्य कारक जैसे अस्थिर सामाजिक व्यवहार का इतिहास, या मानसिक या मनोवैज्ञानिक बीमारी, व्यक्ति का अलगाव (कारण सहित, यदि कोई हो) आदि।

यह जानकारी अनिवार्य रूप से सजा सुनाने के चरण में विचारण न्यायालय को उपलब्ध होनी चाहिए। अभियुक्त को भी, सभी कम करने वाली परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए, खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

216. अंत में, अभियुक्त के जेल आचरण और व्यवहार, किए गए कार्य (यदि कोई हो), अभियुक्त द्वारा की गई गतिविधियों और अन्य संबंधित विवरणों के बारे में जानकारी संबंधित जेल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकारियों (यानी, परिवीक्षा और कल्याण अधिकारी, जेल अधीक्षक, आदि) से रिपोर्ट के रूप में मांगी जानी चाहिए। यदि अपील की सुनवाई विचारण न्यायालय की सजा या उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद लंबे अंतराल के बाद होती है, जैसा भी मामला हो – तो जेल अधिकारियों से एक नई रिपोर्ट (पिछली अदालत द्वारा इस्तेमाल की गई रिपोर्ट के बजाय) की सिफारिश की जाती है, ताकि बीते समय में अभियुक्त द्वारा की गई समकालीन प्रगति की अधिक सटीक और पूरी समझ हो सके। जेल अधिकारियों को एक नई मनोरोग और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट भी शामिल करनी चाहिए जो सुधारात्मक प्रगति को और अधिक प्रमाणित करेगी और सजा के बाद की मानसिक बीमारी, यदि कोई हो, को प्रकट करेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

217. यह बताना उचित है कि **अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य** [25] में इस न्यायालय ने वास्तव में आपराधिक न्यायालयों को अतिरिक्त सामग्री मांगने का निर्देश दिया है:–[11]

"कई बार, सजा निर्धारित करते समय, न्यायालय किसी विशेष मामले के तथ्यों को देखते हुए यह मान लेते हैं कि अभियुक्त समाज के लिए खतरा होगा और उसके सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है, जबकि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उन कारकों का पता लगाए और राज्य अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना के पक्ष और विपक्ष में सामग्री प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। किसी मामले में न्यायालय जिन तथ्यों पर विचार करता है, वे ऐसे निष्कर्ष

11. 25- (2014) 4 SCC 69

पर पहुंचने का आधार नहीं हो सकते, जिसके लिए, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि आपराधिक न्यायालय, धारा 302 भारतीय दंड संहिता जैसे अपराधों पर विचार करते समय, दोषसिद्धि के बाद, उचित मामलों में, यह निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट मांग सकते हैं कि अभियुक्त का सुधार किया जा सकता है या उसका पुनर्वास किया जा सकता है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।" (जोर दिया गया)

हम इस बात का पूर्ण समर्थन करते हैं और निर्देश देते हैं कि इसे समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, उन अपराधों के लिए जिनमें मृत्युदंड की संभावना है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**54.** **मनोज (सुप्रा)** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए उपरोक्त व्यावहारिक दिशा–निर्देशों के प्रकाश में मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसी तारीख को उसे मौत की सजा सुनाई। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विचार नहीं किया है और केवल अपराध और जिस तरह से यह किया गया था, उस पर विचार किया है और अपीलकर्ता को सजा के सवाल पर सुनवाई का प्रभावी अवसर नहीं

दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के सामने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं लाया गया कि अपीलकर्ता को सुधारा या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है, जेल में उसके आचरण के बारे में सामग्री पेश करके और अपीलकर्ता को उस संबंध में सबूत पेश करने के लिए सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। इस अदालत के समक्ष जेल से एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें अपीलकर्ता का व्यवहार सामान्य पाया गया है। अपीलकर्ता द्वारा कोई जेल अपराध नहीं किया गया है, हालांकि अपीलकर्ता ने नाबालिग पीड़ित लड़की को उसके पिता की संरक्षकता से अपहरण करने और उसके साथ यौन संबंध बनाने का अपराध किया है, जिससे उसे 21 शारीरिक चोटें आईं और उसके निजी अंगों पर पांच अतिरिक्त चोटें आईं, जो बर्बर, अमानवीय, जघन्य और अत्यंत क्रूर है। ये आपत्तिजनक परिस्थितियां हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता को सुधारा या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपराध के समय उसकी आयु लगभग 24 वर्ष थी और वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, इस प्रकार वह आदिवासी समुदाय से संबंधित है और उसके सुधार या पुनर्वास की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसकी रिपोर्ट पर विचार करते हुए, जिसे 23–8–2020 से उसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कारावास के दौरान जेल में बिल्कुल सामान्य बताया गया है और उसके खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं दिखाई गई है। यद्यपि यह पूरे समाज को झकझोरता है, फिर भी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता की कम उम्र को देखते हुए, विचारपूर्वक विचार करने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मृत्युदंड की कठोर सजा उचित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हमारा मानना है कि यह दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला नहीं है जिसमें मृत्युदंड की बड़ी सजा की पुष्टि की जानी है। हमारे विचार में, आजीवन कारावास पूरी तरह से पर्याप्त होगा और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। तदनुसार, हम मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का निर्देश देते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि आजीवन कारावास की सजा अपीलकर्ता शेखर कोर्रामके शेष प्राकृतिक जीवन के कारावास तक बढ़ाई जानी चाहिए।

**<u>निष्कर्ष</u>**

**55.** परिणामस्वरूप, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय – पॉक्सो), राजनांदगांव द्वारा अपीलकर्ता शेखर कोर्राम को मृत्युदंड दिए जाने की पुष्टि के लिए प्रस्तुत Cr.Ref.No.1/2021 तदनुसार खारिज की जाती है।

**56.** हालांकि, शेखर कोर्राम की ओर से दायर Cr.A.No.1270/2021 को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 302 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है, लेकिन, जुर्माने की राशि को बरकरार रखते हुए मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। हम आगे निर्देश देते हैं कि आजीवन कारावास की सजा को अपीलकर्ता शेखर कोर्राम के शेष प्राकृतिक जीवन के कारावास तक बढ़ाया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**57.** रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की विधिवत सत्यापित प्रति संबंधित सत्र न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 371 के तहत आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजें।

सही/–
(संजय के अग्रवाल )
जज

सही/–
(रजनी दुबे)
जज

neutral citation
2022:CCHC:12038-DB



**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>**

क्रिमिनल संदर्भ संख्या 1/2021

विरूद्ध

शेखर कोर्राम

एवं

<u>क्रिमिनल अपील नंबर 1270/2021</u>

शेखर कोर्राम

विरूद्ध

छत्तीसगढ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>शीर्ष नोट</u>**

अपीलार्थी को दिये गये मृत्युदंड की सजा का लघुकरण आजीवन कारावास की सजा में इस निर्देश के साथ किया गया कि आजीवन कारावास की सजा अपीलार्थी के शेष प्राकृतिक जीवन तक विस्तारित होगी ।

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**